दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिक्ति सूचना संख्या 9 /पीबी-1/2025/डीडीए

डीडीए केंद्र सरकार/राज्य सरकार या लोक निर्माण या नगर नियोजन से संबंधित संगठनों से जुड़े पात्र और इच्छुक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने का इच्छुक है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या*	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1.	मुख्य अभियंता (सिविल)	02	लेवल-14
2.	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	01	लेवल-12
3.	अधिशासी अभियंता (सिविल)	32	लेवल-11

*पदों की संख्या अनंतिम है जिसे डीडीए की आवश्यकता के अनुसार बिना पूर्व सूचना के बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि का प्रारंभिक कार्यकाल 03 वर्ष होगा, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि जिसे डीडीए के विवेक पर, अवधि/विस्तारित अवधि के पूरा होने से पहले किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

पात्रता मानदंड, निबंधन और शर्तों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in/personnel/advertisement** पर जाएं।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **14.07.2025** है।

आयुक्त (कार्मिक)

Follow us: official_dda ddaofficial official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** देखें या टॉल फ्री नं. **1800110332** डायल करें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिक्ति सूचना संख्या 9/पीबी–1/2025/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार/राज्य सरकार या लोक निर्माण या नगर नियोजन से संबंधित संगठनों से जुड़े पात्र योग्य और इच्छुक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने का इच्छुक है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या*	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1.	मुख्य अभियंता (सिविल)	02	लेवल–14
2.	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	01	लेवल–12
3.	अधिशासी अभियंता (सिविल)	32	लेवल–11

*पदों की संख्या अनंतिम जिसे डीडीए की आवश्यकता के अनुसार बिना पूर्व सूचना के बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि का प्रारंभिक कार्यकाल 03 वर्ष होगा, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि जिसे डीडीए के विवेक पर, अवधि/विस्तारित अवधि के पूरा होने से पहले किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य अभियंता (सिविल) के पद हेतु पात्रता मानदंडः

केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/लोक निर्माण या नगर नियोजन से संबंधित संगठनों के ऐसे अधिकारीः

(i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में समान पद पर नियमित सेवा में हों; या

(ii) जिन्होंने संबंधित शाखा में अधीक्षण अभियंता के पद पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल–12 (रु. 78,800 – 2,09,200) में 08 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अर्थात् सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो।

टिप्पणी-1: *प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घटित किसी बाह्य कैडर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

टिप्पणी-2: *पदोन्नति की सीधी श्रेणी में आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे इसी प्रकार, प्रतिनिक्ति पर आये अधिकारी पदोन्नति के लिए नही होंगे।*

प्रतिनियुक्ति आधार पर अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के पद हेतु पात्रता मानदंडः

केंद्र/राज्य सरकार/लोक निर्माण या नगर नियोजन से संबंधित संगठनों के अधिकारी–

(i) जो अपने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद पर कार्यरत हों; या

(ii) जिन्होंने अधिशासी अभियंता के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल–11 में नियमित रूप से नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम 05 वर्षों की नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति आधार पर अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद हेतु पात्रता मानदंडः

केंद्र/राज्य सरकार/लोक निर्माण या नगर नियोजन से संबंधित संगठनों के अधिकारी–

(i) मूल संवर्ग/विभाग में समान पद पर नियमित सेवा में हों; या

(ii) नियुक्ति के बाद सहायक अभियंता के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में 07 वर्षों की नियमित सेवा हो; या

(iii) नियुक्ति के बाद सहायक अभियंता के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 9 में 05 वर्षों की नियमित सेवा हो।

सामान्य शर्तेः

(I) अभ्यर्थियों को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या F. No AB.14017/28/2014-Estt.(RR) दिनांक 02.07.2015 द्वारा निर्दिष्ट प्रोफार्मा में मूल विभाग को कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए, साथ ही संबंधित दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं। कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा "नियोजक/कैडर नियंत्रण प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र", जो कि निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र का हिस्सा है, को भी अनिवार्य रूप से भरना होगा।

(ii) निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं।

(iii) अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभिक रूप से तीन वर्षों के लिए होगी, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिकतम पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यह अवधि या बढ़ाई गई अवधि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(v) प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009–Estt. (Pay–II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/6/2016–Estt. (Pay–II) दिनांक 17.02.2016 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार नियंत्रित की जाएंगी।

(vi) पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर की प्रमाणित प्रतियाँ (ग्रुप 'ए' अधिकारी द्वारा प्रमाणित), नवीनतम सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, लंबित/निपटाए गए अनुशासनात्मक/आपराधिक मामलों की जानकारी तथा यदि कोई दंड लगाए गए हों, तो उनके विवरण सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(vii) आवेदकों के कैडर पद की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य, प्रस्तावित एक्स–कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के समतुल्य होने चाहिए।

(viii) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन **दिनांक 14.07.2025** से पहले या उस दिन तक अनिवार्य रूप से आयुक्त (कार्मिक) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई–1, ग्राउंड फ्लोर, विकास सदन, नई दिल्ली – 110023 में पहुँच जाने चाहिए। अपूर्ण आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें स्वतः ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

Follow us: official_dda ddaofficial official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।